न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

प्रशासनिक प्रस्तावः आदेश संख्याः 68 /2023/दिनांकः 30 नवम्बर, 2023

प्रस्ताव

माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति दिनांकित 18/11/2023 व माननीय जनपद न्यायाधीश,के प्रशासनिक आदेश दिनांकित 141/2023 दिनांक 18.11.2023 के अनुक्रम में इस जनपद में कार्यरत कुछ न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति, पद परिवर्तन, स्थानान्तरण आदि के परिणामस्वरुप न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)कोर्ट संख्या–1,2 व 7 व सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी० के रिक्त होने एवं पदोन्नति होने के फलस्वरुप रिक्त न्यायालय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या– 2 व 3 में न्यायिक अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने तथा आपराधिक मामलों की संख्या एवं इस जनपद में मजिस्ट्रेट न्यायालयों की उपलब्धता की कमी को दृष्टिगत आपराधिक मामलों से संबंधित न्यायिक कार्य के सुचारु रुप से संचालन हेतु सिविल जज (जू०डि०) को आपराधिक मामलों से संबंधित कार्य आवंटित किये जाने के संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श व सहमति के उपरान्त आपराधिक मामलों से संबंधित न्यायिक कार्य के सुचारु रुप से संचालन हेतु पूर्व में पारित क्षेत्राधिकार संबंधी समस्त आदेश को अतिक्रमित करते हुए अापराधिक वादों का क्षेत्राधिकार दिये जाने हेतु निम्नांकित व्यवस्था प्रस्तावित हैः–

क्रम सं०	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	प्रस्तावित थानो का क्षेत्राधिकार
1	श्री राज बाबू	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	1.थाना **कोतवाली एवं राधानगर से** सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, थाना पुलिस द्वारा किये गये एम०वी०एक्ट के चालान व प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 156(3), 155(2)दं०प्र०सं०, वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार। **2– थाना कल्यानपुर** सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद एवं प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3) दं०प्र०सं० वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार (**सिवाय ऐसे मामले जो ग्राम न्यायालय बिन्दकी के क्षेत्राधिकार में अाते हैं)** **3**–सम्पूर्ण जनपद के जघन्य अपराध अन्तर्गत धारा 302/304/304B/396/**306** भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित समस्त प्रकृति के मामले/ वाद। **4**–जनपद के समस्त लोक सेवकों(राजपत्रित/गैर राजपत्रित अधिकारी) से संबंधित आपराधिक मामले व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) दं०प्र०सं० **5–**खागा तहसील से सम्बन्धित थानो के अतिरिक्त जिले के समस्त थानो के जिला परिषद

			के चालान। **6**–विशेष अधिनियम, आबकारी विभाग,मनोरंजन कर विभाग व श्रम विभाग द्वारा किए गए चालान तथा मण्डी समिति अधिनियम,कीटनाशक अधि० के अन्तर्गत किए गए चालान,खनिज एवं खनन अधि० तथा वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार के वाद **7–**सम्पूर्ण जनपद के एन०डी०पी०एस०एक्ट से संबंधित मजिस्ट्रेट परीक्षणीय/वाद **8–**ए०आर०टी०ओ० व यातायात पुलिस द्वारा एम०वी०एक्ट के तहत किये गये चालान **(सिवाय ऐसे मामले जो बकाया टैक्स/उ०प्र०एम०वी०टैक्सेसन से संबंधित नहीं है)**
2	श्रीमती रोमा गुप्ता,	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 1, फतेहपुर	**1–थाना हुसेनगंज, सुल्तानपुर घोष व हथगांव** के समस्त पुलिस चालानी वाद, थाना पुलिस द्वारा किये गये एम०वी०एक्ट के चालान, परिवाद, NI Act परिवाद, प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3),152(2) दं०प्र०सं०,वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार। **2**–जनपद के समस्त 7/16 पी०एफ०एक्ट, 3/7 आवश्यक वस्तु अधि०,बाट एवं माप अधि० एवं अन्य आर्थिक मामलो से सम्बन्धित वाद **सिवाय उन मामलों के जो न्यायालय बाह्य न्यायालय खागा के क्षेत्राधिकार में आते हैं ।** **3– थाना खागा, किशुनपुर, खखरेरू एवं धाता से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय वाद/ मामले** **4– ए०आर०टी०ओ० द्वारा एम०वी०एक्ट के तहत टैक्स/उ०प्र०एम०वी०टैक्सेसन से संबंधित चालान** **5–थाना औंग** सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, परिवाद एवं NIAct परिवाद ,प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3) दं०प्र०सं० **वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार (सिवाय ऐसे मामले जो ग्राम न्यायालय बिन्दकी के क्षेत्राधिकार में अाते हैं)** **6–उपरोक्त थानों के अतिरिक्त अन्य ऐसी पत्रावलियॉ जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से स्थानान्तरित होकर उक्त न्यायालय में विचाराधीन है ।**

3	श्री महेन्द सिंह पासवान	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट न०ं2 फतेहपुर	**1–थाना ललौली** से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, थाना पुलिस द्वारा किये गये एम०वी०एक्ट के चालान, परिवाद, NI Act परिवाद, प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3),155(2)दं०प्र०सं०, वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार। **2– थाना चांदपुर एवं बिन्दकी** सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, परिवाद एवं प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3) दं०प्र०सं० वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार **(सिवाय ऐसे मामले जो ग्राम न्यायालय बिन्दकी के क्षेत्राधिकार में अाते हैं)** **3–MP/MLA से संबंधित समस्त मजिस्ट्रेट परीक्षणीय मामले ।** **4–उपरोक्त थानों के अतिरिक्त अन्य ऐसी पत्रावलियॉ जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से स्थानान्तरित होकर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० में विचाराधीन है ।**
4	श्री अंकुर चित्राशी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 03,फतेहपुर	**1–थाना असोथर,गाजीपुर से** संबंधित पुलिस चालानी वाद,थाना पुलिस द्वारा किये गये एम०वी०एक्ट के चालान, परिवाद,NI Act परिवाद प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3) ,155(2) दं०प्र०सं० वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार, 2–थाना कोतवाली, राधानगर, कल्यानपुर से संबंधित NI Act के परिवाद,अन्य नये / स्थानान्तरित परिवाद **(सिवाय ऐसे परिवाद जो लोक सेवक एवं ग्राम न्यायालय बिन्दकी के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है ।)**
5	श्री अनुपम कुशवाहा	सिविल जज (सी०डि०) /एफ०टी०सी०/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	**1–थाना मलवॉ, थरियांव, जी०आर०पी० से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद,** थाना पुलिस द्वारा किये गये एम०वी०एक्ट के चालान, **परिवाद, NI Act परिवाद, प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3) , 155(2) दं०प्र०सं०,वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार।** **2–उपरोक्त थानों के अतिरिक्त अन्य ऐसी पत्रावलियॉ जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से स्थानान्तरित होकर उक्त न्यायालय व**

			न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि०/जे०एम० कोर्ट नम्बर–1 में विचाराधीन है ।
6	श्रीमती अंकिता सिंह तृतीय	सिविल जज (जू०डि०) फतेहपुर	**1– थाना जहानाबाद** से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, परिवाद एवं NIAct परिवाद ,प्रकीर्णप्रार्थनापत्र 156(3) दं०प्र०सं० वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार (**सिवाय ऐसे मामले जो ग्राम न्यायालय बिन्दकी के क्षेत्राधिकार में अ◌ाते हैं)** **2– महिला थाने से संबंधित पुलिस चालानी वाद,** थाना पुलिस द्वारा किये गये एम०वी०एक्ट के चालान, **परिवाद, NI Act परिवाद, प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3) ,155(2) दं०प्र०सं०,वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार।** **3–उपरोक्त थाने के अतिरिक्त अन्य ऐसी पत्रावलियॉ जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से स्थानान्तरित होकर न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०कोर्ट नम्बर–2 में विचाराधीन है ।**
7	श्रीमती नंदिनी उपाध्याय	न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ।	**1–थाना जाफरगंज, बकेवर** से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद, परिवाद एवं NIAct परिवाद ,प्रकीर्णप्रार्थनापत्र 156(3) दं०प्र०सं० ,वाहन रिलीज के क्षेत्राधिकार (**सिवाय ऐसे मामले जो ग्राम न्यायालय बिन्दकी के क्षेत्राधिकार में अ◌ाते हैं)** **2–उपरोक्त थाने के अतिरिक्त अन्य ऐसी पत्रावलियॉ जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से स्थानान्तरित होकर न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०कोर्ट नम्बर–7 में विचाराधीन है ।**
8	श्रीमती भावना साहू	सिविल जज,(जू०डि०) एफ०टी०सी०/ महिलाअ◌े के विरूद्ध अपराध से सम्बन्धित विशेष न्याया०, फतेहपुर	1– सम्पूर्ण जनपद के घरेलू हिंसा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वाद 2– महिला के विरूद्ध किए गए अपराध जा◌े कि भारतीय दण्ड संहिता के धारा 498A/ 354/ 354A/ 354B/ 354C/ 354D व 509 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है,से सम्बन्धित सम्पूर्ण जनपद के समस्त थानो के पुलिस चालानी वाद,परिवाद,प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 156(3) , 155(2) दं०प्र०सं० का क्षेत्राधिकार।

नोट–बाह्य न्यायालय खागा,फतेहपुर एवं ग्राम न्यायालय बिन्दकी,फतेहपुर एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट,फतेहपुर

के क्षेत्राधिकार पूर्ववत रहेंगे ।

प्रस्ताव माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित ।

(राज बाबू)

दिनांकः30.11.2023 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

फतेहपुर।

नोटः–

1–उक्त प्रस्ताव/आदेश माननीय जिला जज, के अनुमोदन के उपरान्त तत्काल प्रभावी होगा।

2– उपरोक्त थानों से सम्बन्धित न्यायालयों के कार्यालय लिपिक सम्बन्धित थानो की पत्रावलियों का चार्ज अवलिम्ब अ ादान–प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें, साथ–ही साथ कम्प्यूटर अनुभाग में CIS पर भी उपरोक्त थानों से सम्बन्धित पत्रावलियों का स्थानान्तरण कराना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात यदि कोई अभिलेख उनके पास पाया जाता है तो वह क्षम्य नही होगा, जिसके लिए संबंधित लिपिक स्वंय जिम्मेदार होगें।

3.कम्प्यूटर अनुभाग उपरोक्तानुसार ही संबंधित थानो के अधिकारिता वाले न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र जमानत, प्रार्थनापत्र अन्तगर्त धारा 156(3) & 155(2)दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य प्रार्थनापत्रो का कम्प्यूटर पर अंकन किया जाना सुनिश्चित करेगें।

4.**ऐसे मामले जिनका विवरण उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश में अंकित न किया गया हो, की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,फतेहपुर न्यायालय को होगा।**